

उपखण्ड अधिकारी, अटरू, बारां

प्रकरण सं० दावा/R-T-A-/2007/00007

दर्ज दिनांक : 17.07.2007

1. हमराज पता – निवासी गंदोलिया तहसील अटरू जिला बारां

वादी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पता – निवासी गंदोलिया तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

उपस्थित :

वादी – मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी – लक्ष्मीचंद गौतम

निर्णय

दिनांक : 30.01.2023

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 183, 188 के अन्तर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य – पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरीकेन उपस्थित नहीं रूक-रूककर तीर बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील दफतर दाखिल हो।

(DINESH KUMAR MEENA)

उपखण्ड अधिकारी, अटरू, बारां